न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 245/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/ 00073)

1. संतोष पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति नाई निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विकास पुत्र सुरेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरतीवली संरक्षिका माता संतोष पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति नाई निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कविता पुत्री सुरेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरतीवली संरक्षिका माता संतोष पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति नाई निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमला
2. गुड्डी उर्फ शिमला
3. विनोद
4. धापी
5. लीलूराम
6. राजकुमार
7. गिरदावरी
8. बाला

पिसरान लिछमण जाति नाई निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

9. चन्दो देवी पत्नी लिछमण जाति नाई निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री ओम प्रकाश जाखड़ – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री विनोद कुमार पुरोहित – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 9

निर्णय **दिनांकः 21.02.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट कमला वगैरह ने रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 181 दिनांक 30.7.90 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी नोहर मे अपील पेश कर नामान्तरण सं. 181/72 तथा रोही मोजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर में नामान्तरण सं. 73/3 को खारिज किया जाकर हाल जमाबंदी ललानाबास श्योपुरा में खाता सं.

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

149/145 तथा ललाना उतरादा के खाता सं. 238/234 दोनो खातो मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, तथा 5 ता 7 प्रत्येक के नाम 1/10, 1/10 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, तथा 5 ता 7 ने राजीनामा पेश किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.02.2017 द्वारा अपील को पक्षकारो के राजीनामा के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार कर नामान्तकरण सं. 181, रोही मौजा ललानाबास उतरादा तथा नामान्तरण सं. 73 रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा दिनांक 30.7.1990 को स्वीकृत को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर उभय पक्षो व लिछमण के जायज वारिसान सम्बधित सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि भूमि ग्राम ललानाबास उतरादा के खसरा नं. 52/1 की तादादी 6.044 हैक्टर, खसरा नं. 57 की 1.3020 हैक्टर, खसरा नं. 80 की 2.1970 हैक्टर भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 5, 6 व 9 की पुश्तैनी भूमि रही है। जिसका विरासतन बाद जांच नामान्तरण सं. 181 दिनांक 03.06.1990 को दर्ज हुआ जिसमें अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा स्थित है। अपीलान्ट के पति व पिता सुरेन्द्र की मृत्यु उपरान्त विरासतन नामान्तरण दर्ज हुआ था, इस प्रकार अपीलान्ट संयुक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने बिना नोटिस तामिल करवाये एक तरफा कार्यवाही कर उनकी पीठ पीछे बाला बाला आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट सं. 1 संतोष जो आवश्यक पक्षकार थी, जिनको बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित करवा लिया। रेस्पोडेन्ट का संतोष की जमीन मे क्या हिस्सा था नही लिखा, ना ही उक्त सम्पति बाबत कोई दस्तावेज़ पेश

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया। जो दस्तावेज पेश किया उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट लिछमण के वारिस नही है। रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 6, 7 ने आपसी दुर्भिसंधि कर अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया वो अपने लाभ हित को ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय को धोखे मे रखकर आदेश पारित करवाया गया है। दिनांक 16.11.2017 को अपीलान्ट अपनी फसल काश्त कर रही थी, रेस्पोडेन्ट अनजान व्यक्तियो को लेकर आये, तथा अपीलान्ट की भूमि मे आकर बेदखल करने की कोशिश की और कहा कि उक्त भूमि हमने अपने नाम रिकार्ड में दर्ज करवा ली है। तब अपीलान्ट को प्रथम बार उक्त आदेश की जानकारी हुई। अतः अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 निरस्त फरमाते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है, जिसमे तीन खसरो की अलग अलग भूमि है। खसरा नं. 52/1 की तादादी 6.044 हैक्टर, खसरा नं. 57 की 1.3020 हैक्टर, खसरा नं. 80 की 2.1970 हैक्टर लिछमण की भूमि थी। जिनके 10 वारिस थे। अपीलान्ट्स ने सुरेन्द्र की मृत्यु उपरान्त वारिसनामा बनवाकर इन्तकाल दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी हमे होने पर हमने सभी वारिसानो को पक्षकार बना कर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की। संतोष के पुत्र पुत्रियो को पक्षकार बनाया, जबकि संतोष ने दूसरी शादी कर लेने के कारण उसको पक्षकार नही बनाया गया। पक्षकारो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा भी पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त भूमि बाबत रिकार्ड भी पेश किया, हमने कोर्ट को धोखे मे नही रखा, अपीलान्ट्स यह झूठा आरोप लगा रहे है। अगर हमने कोर्ट को धोखा दिया तो आप हमारे खिलाफ FIR करवाते। अपीलान्ट्स को अपना हिस्सा मिल चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार कर नामान्तकरण सं. 181, रोही मौजा ललानाबास उतरादा तथा नामान्तरण सं. 73 रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा दिनांक 30.7.1990

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को स्वीकृत को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर उभय पक्षो व लिछमण के जायज वारिसान सम्बधित सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का निर्देश दिया। रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार नोहर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तथा सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11.08.2017 द्वारा मृतक लिछमण के जायज वारिसानो के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया है। रिमाण्ड प्रकरण मे आदेश की पालना हो चुकी है, तहसीलदार नोहर ने सुनकर निर्णय पारित कर दिया है। अपीलान्ट्स की अपील प्रभावहीन (Infructuous)हो चुकी है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड नोहर के निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलान्ट संतोष ने प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की छूट हेतु पेश कर इजाजत चाही। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि संतोष मृतक सुरेन्द्र कुमार की विधवा है तथा उसके पुत्र विकास एवं पुत्री कविता पूर्व से ही अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रहे है। अतः अपील प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। साथ ही यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्व के विरूद्व अदालत वाला में दिनांक 24.11.2017 को प्रस्तुत की गई, को अन्दर मियाद स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा –5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलान्ट सं. 1 संतोष अधीनस्थ न्यायालय में स्वय पक्षकार नही थी तथा अपीलान्ट सं. 2 व 3 नाबालिग रहे है, ऐसी स्थति में प्रार्थना पत्र दफा – 5 न्यायहित में स्वीकार स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा नामान्तरण सं. 181 रौही मौजा ललानाबास उतरादा तथा नामान्तरण सं. 73 रौही

मोजा ललानाबास श्योपुरा दिनांक 30.07.1990 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को रिमाण्ड किया गया है। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 11.08.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट /रेस्पोडेन्ट्स के नाम नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित किये जिसकी पालना में रौही मौजा ललानाबास श्योपुरा का नामान्तरण सं. 671 दिनांक 24.08.17 दर्ज हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में रिमाण्ड आदेश की पालना हो जाने के पश्चात अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई होने के कारण अपीलान्ट की अपील प्रभावहीन (Infructuous) हो जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.मौसी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर